

[भारत का राजपत्र, भाग I—खण्ड 1, दिनांक 26  
सितम्बर 2009 से उद्घरण]

संस्कृति विभाग

( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण )

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2009

सं. एफ. 9/2/2008-ई.ई. (सौ.ए.बी.ए.)--पुरातात्विक अनुसंधानों संबंधी कार्यों में संलग्न भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ तथा पुरातात्विक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित अध्ययन कर रही तथा भावी पुरातत्वविदों को प्रशिक्षित कर रही अन्य संस्थाओं के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के घनिष्ठ सम्पर्कों को प्रोत्साहित करने की तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकलापों के साथ भारत की विद्वत् सोसाइटियों तथा राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ संबंध प्रदान करने की दृष्टि से, राष्ट्रपति केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन, उसकी निम्नलिखित संरचना तथा कार्यों के साथ, इसके प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए करते हैं :-

संरचना

अध्यक्ष

1. संस्कृति मंत्री, भारत सरकार  
सदस्य
2. सचिव, भारत सरकार, संस्कृति विभाग
3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
4. अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, संस्कृति विभाग ( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित )
6. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण विभाग
7. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
8. महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
9. महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली
10. महानिदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता-700016
11. महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार, परिवहन भवन, नई दिल्ली
12. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, कॅन्ट रोड, देहरादून (उत्तरांचल)
13. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली
14. मुख्य योजनाकार, नगर और ग्राम योजना संगठन, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, ई ब्लॉक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
15. निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, 4, ब्लाक बी, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

16. निदेशक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, डाटा सेंटर, बालानगर, हैदराबाद-37
17. अध्यक्ष, इंटैक 71, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003
18. संसद के तीन सदस्य, राज्य सभा से निर्वाचित एक सदस्य तथा लोक सभा से निर्वाचित दो ( संबंधित सचिवालयों द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाना है )
- 19 से 23. भारतीय इतिहास कांग्रेस/अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन/एशियाटिक सोसाइटी/भारतीय पुरातत्व सोसाइटी/भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् का एक-एक नामजद व्यक्ति
- 24 से 29. विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंसित नामितियों की सूची में से भारत सरकार द्वारा नामांकित भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के विश्वविद्यालय प्रोफेसर का श्रेणी के भारत के विश्वविद्यालयों के छः प्रतिनिधि
  - (1) प्रोफेसर अनूपा पाण्डे, विभागाध्यक्ष, कला तथा संग्रहालय विज्ञान इतिहास विभाग, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, जनपथ, नई दिल्ली।
  - (2) प्रोफेसर जी. सुब्बय्या, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग, विश्व-भारती, शान्ति निकेतन, पश्चिम बंगाल।
  - (3) प्रोफेसर के. के. भान, पुरातत्व तथा प्राचीन इतिहास विभाग, कला संकाय, एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ोदा, बड़ोदरा, गुजरात।
  - (4) प्रोफेसर वी. एस. शिन्डे, एशियन पुरातत्व के प्रोफेसर, दक्कन कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र।
  - (5) प्रोफेसर बी. एन. भदानी, इतिहास विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002 (उ.प्र.)।
  - (6) प्रोफेसर विभा त्रिपाठी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)।
30. संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव या निदेशक पुरातत्व या उनके नामित।
- 31 से 32 पुरातत्वीय अध्ययनों में रुचि रखने वाले दो वैज्ञानिक
  - (1) प्रो. डी. पी. अग्रवाल, लोक विज्ञान केन्द्र, आशीर्वाद, पूर्व पोखरखली, अल्मोड़ा-263601 (उत्तराखण्ड)।
  - (2) डॉ. रजनीकांत चौधरी, निदेशक, भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
33. निदेशक, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, पलदी, अहमदाबाद-380007।
34. निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा।
- 35 से 39 भारत सरकार द्वारा उनकी वैयक्तिक क्षमता में नामित पांच व्यक्ति जिनमें ऐसे दो व्यक्ति भी शामिल हों जो ऐसे संस्थानों से संबंधित हैं तथा जो वास्तव में पुरातात्विक क्षेत्रगत कार्यों में कार्यरत हैं।

(1) डॉ. के. वी. रमेश, पूर्व संयुक्त महानिदेशक (पुरालेखविद्), अभ्युदय सं. 71, जे ब्लाक, रमन महर्षि रोड, कुवेम्पू नगर, मैसूर, कर्नाटक।

(2) डॉ. गीतम सेन गुप्ता, निदेशक, राज्य पुरातत्व विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

(3) डॉ. आई. के. शर्मा, पूर्व निदेशक, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

(4) प्रो. वी. एच. सोनावाने, पूर्व अध्यक्ष, एम.एस. विश्वविद्यालय, चंद्रोदरा।

(5) डॉ. रोमा हूजा, राजस्थान अध्ययन संस्थान, राजस्थान।

40 से 46 सिन्धु घाटी—लिपि :

(1) प्रो. के. पद्मव्या, पूर्व निदेशक, दक्कन कॉलेज, पुणे।

(2) प्रो. के. राजन, पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय।

(3) श्री आई, महादेवन।

(4) श्री एस. आर. राव, 1233, 34वां क्रॉस, 26 ए मेन, चौथा ब्लाक, जयनगर, बंगलौर-560041।

(5) प्रो. एम. के. फाल्गु, पूर्व निदेशक, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता।

(6) प्रो. आर. मुब्बारायालू, पूर्व तमिल विश्वविद्यालय, तन्जीर, तमिलनाडु।

(7) प्रो. एस. सेट्टर, पूर्व अध्यक्ष, आई.सी.एच.आर., नई दिल्ली।

47 से 48 अन्य :

(1) प्रो. इम्तियाज अहमद, अध्यक्ष, खुदा बक्का ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, बिहार।

(2) प्रो. शीरीन मूसवी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।

49 से 58 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक

(1) प्रो. वी. वी. लाल, एफ-7, हौज़ खास एन्कलेव, हौज़ खास, नई दिल्ली।

(2) डॉ. एम. एस. नागाराजा राव, 15, गंगोत्री ले आउट, दूसरी स्टेज, सरस्वती पुरम, मैसूर-570009।

(3) श्री आर. सी. त्रिपाठी, ए-1055, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016।

(4) डॉ. एस. के. महापात्रा, 21 सत्य नगर, भुवनेश्वर-751007, उड़ीसा।

(5) श्री वी. पी. सिंह, सिक्किम के राज्यपाल, राजभवन, गंगटोक-737101।

(6) श्रीमती कोमल आनन्द, 16, निज़ामुद्दीन पूर्व, दूसरी मंजिल, नई दिल्ली।

(7) श्रीमती कस्तूरी गुप्ता मेनन, पी 404/5, गरियाहाट रोड, कोलकाता-700029, पश्चिम बंगाल।

(8) श्रीमती गौरी चटर्जी, सी-11/15, तिलक लेन, नई दिल्ली-110001।

(9) श्री सी बानू राजीव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ए जो जी इन्टरलॉजिस्टिक्स, पांचवीं मंजिल, भूपति चैम्बर्स, मैथ्यू रोड, मुम्बई-400004।

(10) श्रीमती अंशु वैश्य, सी-11/16, तिलक लेन, नई दिल्ली-110001।

सदस्य सचिव

59. संयुक्त महानिदेशक/निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन)

कार्य

यह बोर्ड, इसके सदस्यों द्वारा भेजे गए भारत में पुरातत्व संबंधी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देगा। यह सरकार के विचारार्थ ऐसे मामलों में सुझाव भी दे सकता है। बोर्ड, जब कभी आवश्यक होगा, अपने सम्मुख विशिष्ट मुद्दों की जांच करने एवं उन पर रिपोर्ट देने के लिए उप-समितियां गठित कर सकता है।

2. बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार होगी, बैठक की तिथि एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

3. बोर्ड के लिए चुने जाने वाले संसद सदस्यों का कार्यकाल सदन की सदस्यता के उनके कार्यकाल तक सीमित होगा, जिसमें उन्हें चुना गया है।

4. राष्ट्रपति सहर्ष यह आदेश करते हैं कि केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित संरचना एवं कार्यों के लिए स्थायी समिति गठित करेगा।

संरचना

अध्यक्ष एवं संयोजक

महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

सदस्य

बोर्ड के पांच सदस्यों का चुनाव बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा।

कार्य

सामान्यतया यह स्थायी समिति इस बोर्ड को देश में पुरातत्वीय निष्पादन के उन्नयन में सलाह देगी एवं इसे भेजी गई सभी रिपोर्टों एवं मर्दों पर विचार करेगी और बोर्ड की बैठक की कार्य सूची पर अपने विचार व्यक्त करने के साथ-साथ सरकार अथवा समिति के अध्यक्ष के ऐसे कार्य करेगी जो इसे सौंपे गए हों। यह, जब कभी आवश्यक होगा, सहयोजित करने के अधिकार के साथ उपसमितियां गठित कर सकती है। इसकी बैठकें वर्ष में दो बार से अधिक नहीं होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों को संकल्प की प्रति भेजी जाए।

कैलाश नाथ श्रीवास्तव  
महानिदेशक

**[EXTRACT FROM THE GAZETTE OF  
INDIA, PART I—SEC. 1, dated 26th  
September 2009]**

DEPARTMENT OF CULTURE  
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)  
New Delhi-110011, the 15th September 2009

No. F. 9/2/2008-EE (CABA)—With a view to promoting closer contacts of the Archaeological Survey of India with Indian Universities conducting Archaeological Researches and other Institutions carrying out studies related to application of archaeological principles, training future Archaeologists, and providing for closer association of learned societies in India and of the State Governments with the activities of the Archaeological Survey of India, the President is pleased to reconstitute the Central Advisory Board of Archaeology for a period of four years from the date of publication with the following composition and functions :

COMPOSITION :

|       |   |
|-------|---|
|       | Chairman  |
| I.    | Minister of Culture, Government of India.   |
|       | Members   |
| II.   | Secretary to the Government of India, Department of Culture.  |
| III.  | Director General, Archaeological Survey of India.   |
| IV.   | Additional Director General, Archaeological Survey of India.  |
| V.    | Joint Secretary to the Government of India, Department of Culture (dealing with ASI).   |
| VI.   | Secretary, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment.  |
| VII.  | Chairman, University Grants Commission.   |
| VIII. | Director General, Council of Scientific and Industrial Research.  |
| IX.   | Director General, National Museum, Janpath, New Delhi.  |
| X.    | Director General, Anthropological Survey of India, 27 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700016.  |
| XI.   | Director General of Tourism, Government of India, Transport Bhawan, New Delhi.  |
| XII.  | Surveyor General, Survey of India, Cantt. Road, Dehradun (Uttarakhand).   |
| XIII. | Chief Engineer, Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-11.   |
| XIV.  | Chief Planner, Town and Country Planning Organisation, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, E-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002. |
| XV.   | Director, School of Planning and Architecture, 4, Block B, I.P. Estate, New Delhi-110002.   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| XVI.            | Director, National Remote Sensing Agency, Data Centre, Balanagar, Hyderabad-37.   |
| XVII.           | Chairman, INTACH, 71, Lodhi Estate, New Delhi-110003.   |
| XVIII.          | Three Members of Parliament, one elected from Rajya Sabha and two elected from Lok Sabha (to be notified separately by the respective Secretariats.)  |
| XIX. to XXIII.  | A nominee each of Indian History Congress/ All India Oriental Conference/ Asiatic Society/ Indian Archaeological Society/ Indian Council of Historical Research.  |
| XXIV. to XXIX.  | Six representatives of the Universities of India of the Rank of University Professor of Indian History; Culture and Archaeology nominated by the Government of India from a list of nominees recommended by the Universities. |
|                 | (i) Prof. Anupa Pande, Head of the Department, Department of History of Art & Museology, National Museum Institute, Janpath, New Delhi.   |
|                 | (ii) Prof. G. Subbiah, Department of Ancient Indian History, Culture & Archaeology, Visva-Bharti, Santiniketan, West Bengal.  |
|                 | (iii) Prof. K. K. Bhan, Department of Archaeology & Ancient History, Faculty of Arts, M.S. University of Baroda, Vadodara, Gujarat.   |
|                 | (iv) Prof. V. S. Shinde, Prof. of Asian Archaeology, Deccan College, Pune, Maharashtra.   |
|                 | (v) Prof. B. I. Bhadani, Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh-202002 (U.P.).   |
|                 | (vi) Prof. Vibha Tripathi, Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.).  |
| XXX.            | Secretary or Director Archaeology or their nominee of the State Government/ Union Territories concerned.  |
| XXXI. to XXXII. | Two Scientists having interest in Archaeological Studies :  |
|                 | (i) Prof. D. P. Agarwal, Lok Vigyan Kendra, Ashirwad, East Pokharkhali, Almora-263601 (Uttarakhand).  |
|                 | (ii) Dr. Rajni Kant Choudhury, Director Institute of Physics, Bhubaneswar, Orissa.  |
| XXXIII.         | Director, National Institute of Design, Paldi, Ahmedabad-380007.  |
| XXXIV.          | Director, National Institute of Oceanography, Goa.  |
| XXXV. to XXXIX. | Five persons nominated in their personal capacities by the Government   |

of India including two persons belonging to Institutions actually engaged in Archaeological Field Work.

(i) Dr. K. V. Ramesh, Former Joint Director General (Epigraphist), Abhyudaya No. 71, J Block, Raman Maharshi Road, Kuvempu Nagar, Mysore, Karnataka.

(ii) Dr. Gautam Sen Gupta, Director, State Department of Archaeology, Government of West Bengal, Kolkata, West Bengal.

(iii) Dr. I. K. Sarma, Former Director, Salar Jung Museum, Hyderabad, A. P.

(iv) Prof. V. H. Sonawane, Former Head, M. S. University, Vadodara.

(v) Dr. Rima Hooja, Institute of Rajasthan Studies, Rajasthan.

XL. to XLVI.

Indus Valley Script :

(i) Prof. K. Paddayya, Former Director, Deccan College, Pune.

(ii) Prof. K. Rajan, University of Pondicherry.

(iii) Shri I. Mahadevan.

(iv) Shri S. R. Rao, 1233, 34th Cross, 26 A Main, IV T Block, Jayanagar, Bangalore-560041.

(v) Prof. M. K. Pal, Former Director, Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata.

(vi) Prof. R. Subbarayalu, Former Tamil University, Tanjore, Tamil Nadu.

(vii) Prof. S. Settar, Former Chairman, ICHR, New Delhi.

XLVII. to XLVIII.

Others :

(i) Prof. Imtiaz Ahmed, Head of Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna, Bihar.

(ii) Prof. Shireen Moosvi, Aligarh Muslim University, Aligarh (U.P.).

XLIX. to LVIII.

Ex-Directors General of Archaeological Survey of India

(i) Prof. B. B. Lal, F-7, Hauz Khas Enclave, Hauz Khas, New Delhi.

(ii) Dr. M. S. Nagaraja Rao, 15, Gangotri Layout, 2nd Stage, Saraswati Param, Mysore-570009.

(iii) Shri R. C. Tripathi, A-1055, Indira Nagar, Lucknow-226016.

(iv) Dr. S. K. Mahapatra, 21, Satya Nagar, Bhubaneswar-751007, Orissa.

(v) Shri B. P. Singh, Governor of Sikkim, Raj Bhawan, Gangtok-737101.

(vi) Smt. Komal Anand, 16, Nizamuddin East, 2nd Floor, New Delhi.

(vii) Smt. Kasturi Gupta Menon, P-404/5, Gariahat Road, Kolkata-700029, West Bengal.

(viii) Smt. Gauri Chatterjee, C-II/15, Tilak Lane, New Delhi-110001.

(ix) Shri C. Babu Rajeev, Chief Executive Officer, ABG Infralogistics, 5th floor Bhupati Chambers, Mathew Road, Mumbai-400004.

(x) Smt. Anshu Vaish, C-II/16, Tilak Lane, New Delhi-110001

Member Secretary

LIX.

Joint Director General/Director (Exploration & Excavation)

FUNCTIONS:

The Board shall advise the Government of India on matters relating to Archaeology in India referred to it by its members. It may also make suggestions on such matters for the consideration of the Government. The Board may set up Sub Committees, as and when necessary, to examine and report on specific issues before it.

2. The Board shall meet once in a year, the dates and venue of the meeting to be decided by the Chairman.

3. The tenure of the Members of Parliament elected to be members of the Board shall be limited to the tenure of their Membership of the House which elected them.

4. The President is also pleased to order that the Central Advisory Board of Archaeology shall set up a Standing Committee with the following Composition and Functions.

COMPOSITION

CHAIRMAN and CONVENOR

Director General, Archaeological Survey of India

MEMBER

Five members of the Board to be elected by the members of the Board from amongst themselves

FUNCTIONS:

The Standing Committee shall advise this board generally on the promotion of Archaeological Pursuance in the country, consider all reports and items referred to it and express its views on the agenda for the Board's meeting and perform such other functions as the Government or the Chairman of the Committee may assign to it. It may set up Sub-Committees as and when necessary with power to co-opt. It may meet not more than twice a year.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

KAILASH NATH SHRIVASTAVA  
Director General